

CAAE- 32 (H)

सहायक लेखा अधिकारी सामूहिक परीक्षा, 2017

दिसम्बर, 2018

लेखा कार्यविधि (पुस्तकों सहित)

समय : 3 घंटे

अधिकतम अंक : 150

अनुमत पुस्तकें :

- (1) सिविल लेखा मैनुअल
- (2) केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति एवं संदाय) नियम, 1983
- (3) सरकारी लेखाकरण नियम, 1990
- (4) संघ और राज्यों की मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची
- (5) केन्द्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से पेंशन अदा करने की योजना

टिप्पणियां :

- (1) प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य हैं और शेष में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं।
- (2) जहां संभव हो अपने उत्तर के समर्थन में प्राधिकार का उल्लेख कीजिए।
- (3) इस प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न और 4 पृष्ठ हैं।

1. भुगतान और लेखा कार्यालय (सचिवालय), महिला और बाल विकास मंत्रालय में मई, 2018 में निम्नलिखित लेनदेन हुआ:-

क्र. सं.	तारीख	लेनदेन का ब्यौरा	राशि रु.
1	2	3	4
		निम्नलिखित पूर्तियों और सेवाओं के लिए विक्रेताओं के पक्ष में भुगतान और लेखा कार्यालय इलेक्ट्रानिक सूचना का सृजन किया	
1.	02.05.2018	(i) स्टाफ कार के लिए पी0ओ0एल0	45,000
2.	04.05.2018	(ii) कार्यालय फर्नीचर की पूर्ति	90,000
3.	07.05.2018	(iii) कार्यालय उपस्करों की मरम्मत	35,000
4.	11.05.2018	श्री "सी" को सामान्य भविष्य निधि अग्रिम की अदायगी के लिए पी0ए0ओ0 इलेक्ट्रानिक सूचना	60,000
5.	14.05.2018	श्री "एस" को स्थानांतरण यात्रा अग्रिम भत्ते की अदायगी के लिए पी0ए0ओ0 इलेक्ट्रानिक सूचना	80,000
6.	17.05.2018	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान बाल कल्याण के लिए अनुदान को 3,00,000 रुपये के सहायता अनुदान के लिए पी0ए0ओ0 इलेक्ट्रानिक सूचना	
	18.05.2018	एनसीईआरटी अन्यत्र सेवा पर मंत्रालय के एक अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि अभिदान के 65,000 रुपये और सीजीईआईएस अभिदान के 120 रुपये के लिए एनसीईआरटी द्वारा ई-विप्रेषण	
7.	22.05.2018	कार्यालय प्रिंटर के लिए इंक कार्टिज की पूर्ति के लिए श्री "एक्स" का एक बिल 1500 रुपये के लिए पारित किया गया परंतु पूर्ति संबंधी चेक सं. ए 026107 गलती से 5100 रुपये का जारी कर दिया गया। विक्रेता ने, यद्यपि 3600 रुपये की अधिक राशि चेक सं0 091711 द्वारा 28.05.2018 का वापस कर दी।	
8.	29.05.2018	मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए मई, 2018 के वेतन और भत्तों के लिए पी0ए0ओ0 इलेक्ट्रानिक सूचना (31.05.2018 से पूर्व देय नहीं)	
		सकल वेतन और भत्ते	90,00,000
		कटौतियां	
		(i) आयकर	7,00,000
		(ii) अधिभार	21,000
		(iii) सामान्य भविष्य निधि	8,00,000
		(iv) सीजीईआईएस	35,000

		(v) लाइसेंस शुल्क	80,000
		(vi) सीजीएचएस	40,000
		(vii) गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	25,000
		(viii) कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज	10,000
		(viii) कम्प्यूटर अग्रिम की वापसी	11,000
9.	30.05.2018	01.01.2014 के पश्चात् नियुक्त किये गये मंत्रालय के कर्मचारियों का वेतन। पीएओ इलेक्ट्रानिक सूचना द्वारा अदायगी की गयी थी (31.05.2018 से पूर्व देय नहीं)। मई 2018 के लिए सकल वेतन	11,00,000
		कटौतियाँ :	
		(i) आयकर	80,000
		(ii) अधिभार	2,400
		(iii) सीजीईजीआईएस	3,000
		(iv) सीजीएचएस	6,000
		(v) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए कर्मचारियों का अंशदान	30,000
10.	31.05.2018	एनपीएस के लिए नियोक्ता का अंशदान	30,000
11.	31.05.2018	एनपीएस के लिए कर्मचारियों के अंशदान और नियोक्ता के अंशदान को पीएओ इलेक्ट्रानिक सूचना का सृजन करके ट्रस्टी बैंक (एक्सिस बैंक) को भेज दिया गया।	60,000

भुगतान और लेखा अधिकारी को अपने प्रत्यायित बैंक से निम्नलिखित ई-स्काल प्राप्त हुआ :-

तारीख	पीएओ इलेक्ट्रानिक सूचना/चेकों का ब्योरा	राशि (रूपये)
1	2	3
02.05.2018	पीएओ इलेक्ट्रानिक सूचना	45,000
04.05.2018	-वही-	90,000
07.05.2018	-वही-	35,000
11.05.2018	-वही-	60,000
14.05.2018	-वही-	80,000
17.05.2018	-वही-	3,00,000
23.05.2018	चेक सं० 026107	5,100
31.05.2018	पीएओ इलेक्ट्रानिक सूचना	72,78,000
31.05.2018	-वही-	9,78,600
31.05.2018	-वही-	60,000

प्राप्तियाँ ई-स्काल

तारीख	ब्योरा	राशि (रूपये)
21.05.2018	ई-विप्रेषण	65,120
31.05.2018	चेक सं० 091711	3,600

(क) वेतन, यात्रा व्ययों, कार्यालय व्ययों आदि के संबंध में ब्योरेवार शीर्ष तक और अन्य लेनदेनों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर तक वर्गीकरण को शामिल करते हुए फार्म सीएएम-33 में उपर्युक्त लेनदेनों को संकलित कीजिये।

(ख) आवश्यक अंतरण प्रविष्टियाँ भी फार्म सीएएम-34 में तैयार कीजिये।

(ग) फार्म सीएएम-37 और 38 में वर्गीकृत सार तैयार कीजिये।

(40 अंक)

2. निम्नलिखित ब्योरे से नागर विमानन मंत्रालय के अनुदान सं० 9 के संबंध में वर्ष 2016-17 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखे तैयार कीजिये।

मूल बजट प्रावधान
(सभी स्वीकृत)
(हजार रूपयों में)

राजस्व भाग :

मुख्य शीर्ष	: 2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्ष	: 04	अल्पसंख्यकों का कल्याण
लघु शीर्ष	: 103	हजे चार्टर्स के प्रचालन के लिए सहायिकी

उप शीर्ष	: 01	— हज चार्टर	4,50,00
मुख्य शीर्ष	: 3053	— नागर विमानन	
उप मुख्य शीर्ष	: 80	— सामान्य	
लघु शीर्ष	: 003	— प्रशिक्षण शिक्षा	
उप शीर्ष	: 01	— प्रशिक्षण एवं लाइसेंस निदेशालय	12,90,00
लघु शीर्ष	: 80-101-	निरीक्षण	
उप शीर्ष	: 01	— वैमानिकी निरीक्षण नियंत्रक	19,00,00
लघु शीर्ष	: 80-101-	निरीक्षण	
उप शीर्ष	: 03	— विमानन परियोजनायें जिनमें आंतरिक एजेंसी/विदेश शामिल है	20,00
मुख्य शीर्ष	: 3075	— अन्य परिवहन सेवाएं	
उप मुख्य शीर्ष	: 60	— अन्य	
लघु शीर्ष	: 800	— अन्य व्यय	
उप शीर्ष	: 01	— रेलवे सुरक्षा आयोग	10,20,00
मुख्य शीर्ष	: 3451	— सचिवालय आर्थिक सेवाएं	
लघु शीर्ष	: 00-090-	सचिवालय	
उप शीर्ष	: 27	— नागर विमानन मंत्रालय	25,00,00
पूँजीगत भाग			
मुख्य शीर्ष	: 5053	— नागर विमानन पर पूँजी परिव्यय	
उप मुख्य शीर्ष	: 01	— हवाई सेवाएं	
लघु शीर्ष	: 190	— सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश	
उप शीर्ष	: 01	— एअर इंडिया लिमिटेड	17,13,00

- (i) उप शीर्ष 3053-80-101-03 के अंतर्गत अगस्त, 2016 में 90,000 रुपये का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था।
(ii) मंत्रालय ने मार्च, 2017 माह में पुनर्विनियोग के निम्नलिखित आदेश जारी किये थे। विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत इन पुनर्विनियोग आदेशों का प्रभाव इस प्रकार था :

उप शीर्ष	को	से
30.53.80.003.01		40,00
3053.80.101.01		50,00
3053.80.101.03	2,36,00	
3075.60.800.01		95,00
3451.00.090.27		51,00

- (iii) जनवरी 2017 में उप शीर्षों से निम्नलिखित राशियां अभ्यर्पित कर दी गयी थीं :

उपशीर्ष	राशि (हजार रुपये में)
2225.04.103.01	32,00
3053.80.101.01	63,00
5053.01.190.01	83,00

- (iv) प्रधान लेखा कार्यालय, नागर विमानन मंत्रालय जो कि इस अनुदान को नियंत्रित करता है के द्वारा दर्ज किया गया व्यय इस प्रकार था :

उपशीर्ष	राशि (हजार रुपये में)
2225.04.103.01	4,17,90
3053.80.003.01	12,48,00
3053.80.101.01	17,86,50
3053.80.101.03	3,45,95
3075.60.800.01	9,19,00
3451.00.090.27	24,34,00
5053.01.190.01	16,29,00

(v) बजट आवंटन प्राधिकृत किये जाने पर नागर विमाना मंत्रालय की ओर से विदेश मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित व्यय किया गया था। विदेश मंत्रालय के भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा सूचित व्यय को नागर विमानन मंत्रालय के विनियोग लेखों में शामिल किया गया था।

उपशीर्ष : 3451.00.090.27

15.60 रुपये राशि (हजार रुपये में)

(30 अंक)

3. सरकारी लेखे के भागों और सरकारी लेखे के मुख्य प्रभागों का वर्णन कीजिये। (20 अंक)
4. (i) एक प्रधान लेखा कार्यालय से दूसरे लेखा कार्यालय को शेषों के अंतरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये जब भारत सरकार के पूरे विभागों/कार्यालयों का अंतरण एक मंत्रालय/विभाग से दूसरे मंत्रालय/विभाग को कर दिया गया हो। (10 अंक)
- (ii) आउटकम बजट तैयार करने के संबंध में एकीकृत स्कीम के संशोधित चार्टर के अनुसार मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों की भूमिका का वर्णन कीजिये। (10 अंक)
5. लेनदेन की निम्नलिखित मदों में से किन्हीं पांच का पूरा ब्योरा देते हुए वर्गीकरण कीजिये :
 - (i) उपदान की विलंबित अदायगी पर देय ब्याज से संबंधित व्यय (4 अंक)
 - (ii) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंशदान के लिए निधि (4 अंक)
 - (iii) सीजीएसटी की विलंबित वापसी पर प्रदत्त ब्याज (4 अंक)
 - (iv) किसी सरकारी कर्मचारी को आपराधिक और सिविल मामलों में जिनमें सरकार एक पक्षकार है उसकी सरकारी हैसियत से साक्ष्य के लिए बुलाए जाने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी के यात्रा और निर्वाह भत्ते के लिए सिविल और फौजदारी अदालत में शुल्क या व्यय जमा किया गया। (4 अंक)
 - (v) तोशाखाना की बिक्री आय से प्राप्तियां। (4 अंक)
 - (vi) मशीनरी की खरीद के लिए संविदाकारों को कर्ज। (4 अंक)
6. (क) एक प्राधिकृत बैंक से दूसरे स्टेशन पर स्थित प्राधिकृत बैंक को पेंशन की अदायगी अंतरित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये। (10 अंक)
- (ख) पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान को कर्ज में परिवर्तित किये जाने और कर्ज को सहायता अनुदान में परिवर्तित किये जाने की लेखा प्रक्रिया का वर्णन कीजिये। (10 अंक)
7. निम्नलिखित लेनदेनों में से किन्हीं पांच के संबंध में अंतरण प्रविष्टियां तैयार कीजिये :
 - (क) एक सामान्य भविष्य निधि अभिदाता को उसकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उसके खाते का अंतिम रूप से निपटान किये जाने के बाद वर्ष 2017-18 के लिए उसे ब्याज के रूप में 90,000 रुपये की अदायगी की गयी। (4 अंक)
 - (ख) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने यह पाया कि प्रतिपूर्ति और अन्य बांडों के अंतर्गत कुछ अदावी शेष उनके परिपक्व होने की तारीख से 20 वर्ष से भी अधिक वर्षों से लगातार देखे जा रहे हैं। उन्होंने 25 लाख रुपये राजस्व का अंतरित किए जाने का आदेश दिया। (4 अंक)
 - (ग) 10,000 रुपये की लापता सामान्य भविष्य निधि नामे राशि को कोलेट्रल साक्ष्य आधार पर समायोजित किया गया। (4 अंक)
 - (घ) गृह निर्माण अग्रिम संबंधी 20,000 रुपये की ब्याज की वसूली को राज्य सरकार को कर्ज पर ब्याज की वसूली के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। (4 अंक)
 - (ङ) सीजीएसएस पेंशनभोगी के चिकित्सक उपचार पर 1,20,000 रुपये के व्यय को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पर व्यय के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। (4 अंक)
 - (च) आर्थिक कार्य विभाग ने 125 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण गारंटी रिडम्पशन फंड को किये जाने की स्वीकृति जारी की। (4 अंक)
8. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये :
 - (i) संघ सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण (5 अंक)
 - (ii) अनुपस्थिति विवरण (5 अंक)
 - (iii) निवेशों का रजिस्टर (5 अंक)
 - (iv) शेषों का सारांश (5 अंक)
 - (v) प्रोफार्मा लेखे (5 अंक)